न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 42/2022 जिला अलवर

1. विश्राम पुत्र रामस्वरूप, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी नारनौल कलां, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
2. बनवारी पुत्र टुण्डल, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी नारनौल कलां, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. चिरंजी पुत्र धनसा, जाति मीणा, निवासी झालाटाला, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
2. रामदयाल पुत्र धनसीराम, जाति मीणा, निवासी झालाटाला, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
3. रामजीवन पुत्र धनसा, जाति मीणा, निवासी झालाटाला, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
4. खिलाडी पुत्र घीसा, जाति जाट, निवासी नारनौल कलां, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
5. प्रभूदयाल पुत्र रामस्वरूप जाट, निवासी नारनौल कलां, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर दिनांक 06.09.2021 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128, 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया गया जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह राठौड।
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 श्री राजाराम चौधरी।
3. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 6 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–31.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 06.09.2021 के खिलाफ प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रा.पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न निम्न प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2021 को अन्तर्गत धारा, 128, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रार्थीयान ग्राम झालाटाला व नारनौल कलां व नारनौल खुर्द के निवासीयान हैं। जिनकी आराजीयात के लिए ग्राम उछर हाईवे से वाया झालाटाला, नारनौल खुर्द, नारनौल कलां से होता हुआ गोठडा गांव तक रास्ता कायम है। जिस रास्ते से ही आगे खसरा नम्बर 5 रकबा 14 बिस्वा वाके नारनौल कलां से ही निकलकर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात व गॉव को आते

Scanned with OKEN Scanner

जाते हैं। लेकिन खसरा नम्बर 5 गै0मु0 रास्ता का इन्द्राज हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1 वाके नारनौल कलां के तर्फ पश्चिम में राजस्व कर्मचारियों से सहवन से रह गया है जिस नक्शा में ट्रेस में रास्ता का अंकन करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। हाल खसरा नम्बर 5 रकबा 14 बिस्वा गै0मु0 रास्ता वाके नारनौल कलां में स्थित है। जिसके सावेक खसरा नम्बर 3 मिन रकबा 16 बिस्वा था। मुताबिक सावेक मसावी नक्शा सन 1920–21 के खसरा नम्बर 3 मिन रकबा 16 बिस्वा गै0मु0 रास्ता नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है लेकिन दौराने बन्दोबस्त उक्त रास्ता का नया नम्बर 5 कायम कर रास्ता को 14 बिस्वा दर्ज किया गया। रास्ते की 2 बिस्वा जमीन को खसरा नम्बर 1 में दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 1 के तर्फ पश्चिम में रास्ता का अंकन नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों से करने से रह गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर बदस्तूर पुराने समय से ही रास्ता कायम है जबकि राजस्व कर्मचारियों व बन्दोबस्त कर्मचारियों को तो राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में पूर्वत इन्द्राज व रेखा को ज्यों का त्यों रखना चाहिए था उन्हें किसी प्रकार से फेरबदल करने का कोई कानूनी हक वो अधिकार नहीं था। ख0नं0 1 खातेदार सोन्या वगै0 द्वारा भी राजस्थान सरकार के विरूद्ध उक्त गै0मु0 रास्ता बाबत सिविल न्यायाधीश व0ख0 लक्ष्मणगढ की अदालत में दावा पेश किया था। जो दावा सोन्या का ख.नं. 5 गै.मु. रास्ता मानते हुए ख.नं. 1 तर्फ पश्चिम की तरफ विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए रास्ते की राजस्व अधिकारियों से पैमाईश करावे व रास्ता से अतिक्रमण हटावें, रास्ता सुचारू रूप से गतिमान करें। दावा संख्या 31/2008 सोन्या बनाम राजस्थान सरकार डिक्री किया गया था। रास्ता मौके पर कायम है व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है किन्तु ख0नं0 1 के तर्फ पश्चिम में मात्र हाल नक्शा ट्रेस में रास्ता की रेखा का अंकन होने से रह गया है जो होना कानूनी जरूरी है। जो अंकन नहीं होने की आड में ख0नं0 1 के खातेदारान रास्ता के अस्तित्व को समाप्त कर देगें। जिससे आवागमन वादीगण व अन्य ग्रामवासियों का अपने खेत व खेतों में बने मकान व गॉव एवं हाईवे सडक पर आने का रास्ता बंद हो जावेगा जिससे मुताबिक सावेक मसावी नक्शा के मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस में रास्ते का अंकन होना कानूनी जरूरी है। हम प्रार्थीयान को इस बाबत पहले जानकारी नहीं हो पाई कि नक्शा ट्रेस में रास्ता का अंकन खसरा नम्बर 1 के पश्चिम में नहीं हो रहा है क्योंकि गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है व मौके पर भी कायम है किन्तु 3 माह पूर्व पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि नरेगा के तहत उक्त रास्ता में मिट्टी आदि डलवाने के लिए जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की नकल नरेगा कर्मचारियों ने गॉव वालों से लाने के लिए कहा उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 से भी मुताबिक सावेक नक्शा ट्रेस के हाल नक्शा में ख0नं0 1 के तर्फ पश्चिम में रास्ता की रेखा का अंकन करने के लिए कहा तो वह पहले तो हां करता रहा किन्तु बाद में इंकार कर दिया कहा कि अदालत से दुरूस्ती के आदेश लेकर आओ। प्रार्थना पत्र के लिए विनायदावी 3 माह पूर्व नक्शा ट्रेस में ख0नं0 5 गै0मु0 रास्ता का इन्द्राज नक्शे में नहीं होने की जानकारी होने पर पैदा होता है तथा विनाय मुखास्मत दिनांक 15.07.2019 को साफ इंकारी करने पर पैदा होती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ को आदेश दिया जावे कि वो हाल नक्शा ट्रेस वाके नारनौल कलां में पश्चिमी दिशा में रास्ता की रेखा का अंकन कर नक्शा ट्रेस में दुरूस्त फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर ने रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2021 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया गया कि ग्राम नारनौल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कलां के नक्शा के नक्शा लठ्ठा में आ0ख0नं0 1 के पश्चिम दिशा में ख0नं0 5 गै0मु0 रास्ता की लाईन (रेखा) का इन्द्राज मसाबी नक्शा के अनुसार किया जावे।

3. उपखण्ड अधिकार लक्ष्मणगढ जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.09.2021 से व्यथित होकर अपीलान्टस विश्राम पुत्र रामस्वरूप के द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन प्रश्नगत निर्णय दिनांक 06.09.2021 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहत न्यायालय मे मिन अपीलान्टान को रेस्पोडेन्ट द्वारा पक्षकार नहीं बनाते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131, 136 प्रस्तुत किया गया। जिसमें मिन अपीलान्ट के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1 के तरफ पश्चिम को रास्ता दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया। जिसमें मिन अपीलान्ट एक आवश्यक पक्षकार था। इसके बावजूद भी मिन अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त निर्णय दिनांक 06.09.2021 की जानकारी मिन अपीलान्ट को नहीं हुई। मिन अपीलान्ट को तहत न्यायालय के निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.07.2022 को उस समय हुई जब उसने पूर्व मसाबी में खसरा नम्बर 1 के तरफ पश्चिम रास्ता होने की बाबत मिन अपीलान्ट से पूछताछ की। मिन अपीलान्ट ने कहा कि खसरा नम्बर 1 की तरफ पश्चिम को कभी कोई रास्ता नहीं रहा। तब उसने बताया कि उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ के कार्यालय में जानकारी की तो पता चला कि तहत न्यायालय में मिन अपीलान्ट की बाला–बाला अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिस निर्णय की जानकारी होते ही मिन अपीलान्ट ने 19.07.2022 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 20.07.2022 को सांयकाल प्राप्त हुई। जिसे लेकर वकील साहिबान से सलाह मशोहरा किया तो उन्होनें अपील दायर करने की राय दी। जिस पर मिन अपीलान्ट ने पैसे आदि का इन्तजाम किया और वकील साहब से जयपुर आकर सम्पर्क किया। जिस पर मिन अपीलान्ट द्वारा बिना किसी देरी के यह अपील जानकारी के दिन व सलाह मशोहर के दिन मुजरा दिये जाने से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाकर अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियाद शुमार की जावे। विद्वान तहत न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 व 126 की परिधि मे नहीं आती है। लेकिन विद्वान तहत न्यायालय ने धारा 128 और 131 व 136 का पूर्ण रूपेण अवलोकन नहीं किया और मनमाने तरीके पर मिन अपीलान्ट के बाला–बाला अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। खसरा नम्बर 1, 2, 3 व 4 मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट के अन्य हिस्सेदारों के कब्जे काश्त खातेदारी का नम्बर है। अधीनस्थ में रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 1 तरफ पश्चिम को रास्ता होने की बात कहकर तहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। विद्वान तहत न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की और केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र व उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जो खसरा नम्बर 1 की तरफ पश्चिम को रास्ता बताया जाता है वो रास्ता कभी किसी भी राजस्व रिकार्ड में ना तो दर्ज था और ना दर्ज है। विद्वान तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में मसाबी नक्शे का हवाला दिया है। जबकि तहत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में कोई मसाबी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। बगैर किसी आधार के नक्शा लट्ठा आराजी खसरा नम्बर 1 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 5 गैर मुमकिन रास्ते की लाईन व इन्द्राज करने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट 6 द्वारा मिन अपीलान्ट के तरफ दक्षिण को जो रास्ता 8 फुट चौडा है उसे 16 फुट करना चाह रहे थे और मिन अपीलान्ट की ढोल जो दक्षिण की तरफ जो बनी हुई है उसको मिसमार करने की जूस्तजू व कोशिश में थे। जिस पर मिन अपीलान्ट ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के न्यायालय में एक वाद 31/2008 प्रस्तुत किया जो वाद दिनांक 30.06.2009 को डिक्री किया गया। जिस निर्णय के पेज नं. 7 में तनकी नं. 2 का निर्णय किया गया है। जिस निर्णय के पेज नं. 7 में तनकी नं. 2 का निर्णय किया गया है। जिसमें विद्वान न्यायालय ने स्पष्ट अंकित किया है कि खसरा नम्बर 1 की पश्चिम की तरफ कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। यह तथ्य नक्शा ट्रेस प्रदर्श ए–1 सरकारी अभिलेख के अनुसार बिल्कुल स्पष्ट है इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 1 की पश्चिम दिशा की तरफ वादीगण की अनुमति के बिना कोई रास्ता कायम नहीं कर सकते है। क्योंकि सरकारी अभिलेख में भी पश्चिम को कोई रास्ता नही है। मिन अपीलान्ट के द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय में तरफ दक्षिण को जो रास्ता 8 फीट का जारी है उसको रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 16 फुट का करना चाह रहे थे और मिन अपीलान्ट की डोल को मिसमार करने की जूस्तजू व कोशिश में थे। इस कारण मिन अपीलान्ट ने न्यायालय सिविल न्यायधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय में वाद पेश कर तरफ दक्षिण के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा था। लेकिन तहत न्यायालय में सिविल न्यायालय के निर्णय को पढने में अहम गलती की है। खसरा नम्बर 1 के तरफ पश्चिम को काई रास्ता अस्तित्व में नहीं हे और मिन अपीलान्ट खसरा नं. 1, 2, 3 व 4 की आराजी के खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उसी पर काबिज है और उसी पर गैर मुमकिन आबादी बनाकर रिहायश रख रहा है। मिन अपीलान्ट ने रास्ते की भूमि को ना तो दबाया है और ना ही भविष्य में दबाने का कोई प्लान है। लेकिन जब नक्शा व मौके पर कोई रास्ता है ही नहीं तो रेस्पोडेन्ट संख्या 6 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के दबाव में आकर नवीन रास्ता कायम करना चाहता है जबकि कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नही है। अतः अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर दिनांक 06.09.2021 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं 1 लगायत 5 के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थीयान ग्राम झालाटाला व नारनौल कलां व नारनौल खुर्द के निवासीयान हैं। जिनकी आराजीयात के लिए ग्राम उछर हाईवे से वाया झालाटाला, नारनौल खुर्द, नारनौल कलां से होता हुआ गोठडा गांव तक रास्ता कायम है। जिस रास्ते से ही आगे खसरा नम्बर 5 रकबा 14 बिस्वा वाके नारनौल कलां से ही निकलकर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात व गॉव को आते जाते हैं। लेकिन खसरा नम्बर 5 गै0मु0 रास्ता का इन्द्राज हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1 वाके नारनौल कलां के तर्फ पश्चिम में राजस्व कर्मचारियों से सहवन से रह गया है जिस नक्शा में ट्रेस में रास्ता का अंकन करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। हाल खसरा नम्बर 5 रकबा 14 बिस्वा गै0मु0 रास्ता वाके नारनौल कलां में स्थित है। जिसके साविक खसरा नम्बर 3 मिन रकबा 16 बिस्वा था। मुताबिक साविक मसाबी नक्शा सन 1920–21 के खसरा नम्बर 3 मिन रकबा 16 बिस्वा गै0मु0 रास्ता नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है लेकिन दौराने बन्दोबस्त उक्त रास्ता का नया नम्बर 5 कायम कर रास्ता को 14 बिस्वा दर्ज किया गया। रास्ते की 2 बिस्वा जमीन को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 1 में दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 1 के तर्फ पश्चिम में रास्ता का अंकन नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों से करने से रह गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर बदस्तूर पुराने समय से ही रास्ता कायम है जबकि राजस्व कर्मचारियों व बन्दोबस्त कर्मचारियों को तो राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में पूर्वत इन्द्राज व रेखा को ज्यों का त्यों रखना चाहिए था उन्हें किसी प्रकार से फेरबदल करने का कोई कानूनी हक वो अधिकार नहीं था। ख0नं0 1 खातेदार सोन्या वगै0 द्वारा भी राजस्थान सरकार के विरूद्ध उक्त गै0मु0 रास्ता बाबत सिविल न्यायाधीश व0ख0 लक्ष्मणगढ की अदालत में दावा पेश किया था। जो दावा सोन्या का ख.नं. 5 गै.मु. रास्ता मानते हुए ख.नं. 1 तर्फ पश्चिम की तरफ विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए रास्ते की राजस्व अधिकारियों से पैमाईश करावे व रास्ता से अतिक्रमण हटावें, रास्ता सुचारू रूप से गतिमान करें। दावा संख्या 31/2008 सोन्या बनाम राजस्थान सरकार डिक्री किया गया था। रास्ता मौके पर कायम है व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है किन्तु ख0नं0 1 के तर्फ पश्चिम में मात्र हाल नक्शा ट्रेस में रास्ता की रेखा का अंकन होने से रह गया है जो होना कानूनी जरूरी है। जो अंकन नहीं होने की आड में ख0नं0 1 के खातेदारान रास्ता के अस्तित्व को समाप्त कर देगें। जिससे आवागमन वादीगण व अन्य ग्रामवासियों का अपने खेत व खेतों में बने मकान व गॉव एवं हाईवे सडक पर आने का रास्ता बंद हो जावेगा जिससे मुताबिक साविक मसाबी नक्शा के मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस में रास्ते का अंकन होना कानूनी जरूरी है। हम प्रार्थीयान को इस बाबत पहले जानकारी नहीं हो पाई कि नक्शा ट्रेस में रास्ता का अंकन खसरा नम्बर 1 के पश्चिम में नहीं हो रहा है क्योंकि गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है व मौके पर भी कायम है किन्तु 3 माह पूर्व पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि नरेगा के तहत उक्त रास्ता में मिट्टी आदि डलवाने के लिए जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की नकल नरेगा कर्मचारियों ने गॉव वालों से लाने के लिए कहा उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 से भी मुताबिक साविक नक्शा ट्रेस के हाल नक्शा में ख0नं0 1 के तर्फ पश्चिम में रास्ता की रेखा का अंकन करने के लिए कहा तो वह पहले तो हां करता रहा किन्तु बाद में इंकार कर दिया कहा कि अदालत से दुरूस्ती के आदेश लेकर आओ। प्रार्थना पत्र के लिए विनायदावी 3 माह पूर्व नक्शा ट्रेस में ख0नं0 5 गै0मु0 रास्ता का इन्द्राज नक्शे में नहीं होने की जानकारी होने पर पैदा होता है तथा विनाय मुखास्मत दिनांक 15.07.2019 को साफ इंकारी करने पर पैदा होती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर ने रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2021 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया गया कि ग्राम नारनौल कलां के नक्शा के नक्शा लठ्ठा में आ0ख0नं0 1 के पश्चिम दिशा में ख0नं0 5 गै0मु0 रास्ता की लाईन (रेखा) का इन्द्राज मसाबी नक्शा के अनुसार किया जावे। उनका यह भी कहना था कि प्रकरण धारा 136 एल.आर. एक्ट की परिधि में आता है तथा रिलीफ धारा 136 एल0आर0 एक्ट में चाही गई। पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में माना है कि ग्राम नारनौल कलां के मसाबी नक्शा में ख.नं. 3 का हाल खसरा नम्बर 1 के पश्चिम दिशा में वर्तमान खसरा नम्बर 5 की रेखा का अंकन किया जाता है तो राज्य हित में सही है। उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2021 रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम नारनौल कला आ.ख0 नं0 5 रकबा 14 बिस्वा (0.1771 है0) गै0मु0 रास्ता का ख0नं0 1 के पश्चिम दिशा में गै0मु0 रास्ता का अंकन मसाबी नक्शा के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2021 द्वारा दुरूस्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधि सम्मत हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम नारनौल कलां के मसावी नक्शा में ख.नं. 3 का हाल खसरा नम्बर 1 के पश्चिम दिशा में वर्तमान खसरा नम्बर 5 की रेखा का अंकन किया जाता है तो राज्य हित में सही माना है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 20.07.2022 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। मिन अपीलान्ट खसरा नं0 1, 2, 3 व 4 पर काबिज है। खसरा नम्बर 1 की तरफ पश्चिम को रास्ता दिये जाने से मिन अपीलान्ट के अधिकार व हित प्रभावित होते है। इसलिए प्रा.पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य वाके ग्राम नारनौल कलां के नक्शा लट्ठा मे आ0ख0नं0 1 के पश्चिम दिशा में ख0नं0 5 गै0मु0 रास्ता की लाईन (रेखा) का इन्द्राज के सम्बन्ध में विवाद है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर) के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत साबिक नक्शा के मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1 वाके ग्राम नारनौल कला के पश्चिम में रास्ता का अंकन कर हाल नक्शा दुरूस्त करने बाबत पेश कर निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय वरिष्ठ खण्ड एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ में उनवानी प्रकरण सोन्या बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 30.06.2009 में यह प्रतिपादित किया गया है कि वादीगण के वादपत्र में संलग्न नक्शा प्रदर्श 1 में वर्णित ख.नं. 1 की पश्चिम की तरफ विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना सडक ना निकाले व वादपत्र के पैरा सं.1 में वर्णित विवादित रास्ते की पैमाईश सरकारी अभिलेख नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1 के अनुसार मौके पर उभयपक्ष की मौजूदगी में राजस्व अधिकारी पैमाईश करे। यदि विवादित आम रास्ते की भूमि पर वादीगण ने अतिक्रमण कर लिया है तो अभिलेख के अनुसार विधिक अतिक्रमण हटाये और वादीगण के अलावा किसी अन्य ने भी विवादित आम रास्ता पर अतिक्रमण कर रखा है तो उस पर से अतिक्रमण हटाये और रास्ते को सुचारू रूप से गतिमान करें। इसी क्रम में खिलारी घीस्या, लल्लूराम पुत्र चुरया, प्रभुदयाल पुत्र रामस्वरूप व रामजीवन पुत्र धन्सीराम, देवीराम पुत्र लिक्ष्मण ने अपने हल्फनामा में उल्लेख किया है कि हाल ख. नं. 5 रकबा 14 बिस्वा गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम नारनौल कला में स्थित है जिसके साबिक ख0नं0 3 मिन रकबा 16 बिस्वा था। मुताबिक साबिक नक्शा सन् 1920–21 में ख0नं0 3 मिन रकबा 16 बिस्वा गै0मु0 रास्ता नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है लेकिन दौराने बन्दोबस्त उक्त रास्ता का नया नम्बर ख0नं0 5 कायम कर रास्ता को 14 बिस्वा दर्ज किया गया है। रास्ते की 02 बिस्वा जमीन को ख0नं0 1 में दर्ज कर दिया गया तथा ख0नं0 1 के तर्फ पश्चिम मे रास्ता का अंकन नक्शा ट्रेस मे राजस्व राजस्व कर्मचारियों से दर्ज करने से रह गया जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मौके पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पुराने समय से ही दर्ज करने से रह गया जबकि राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर पुराने समय से ही रास्ता बदस्तूर कायम है। जमाबन्दी संवत 2015 वाके ग्राम नारनौल कलां में ख0नं0 3 रकबा 16 बिस्वा गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। नक्शा लट्ठा ग्राम नारनौल कला सन् 1920 में ख0नं0 3 रास्ते के रूप मे दर्ज रिकॉर्ड है। पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में माना है कि ग्राम नारनौल कलां के मसाबी नक्शा में ख0नं0 3 का हाल ख0नं0 1 के पश्चिम दिशा में वर्तमान ख0नं0 5 की रेखा का अंकन किया जाता है तो राज्य हित में सही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम नारनौल कलां के नक्शा लठ्ठा में आ0ख0नं0 1 के पश्चिम दिशा में ख0नं0 5 गै0मु0 रास्ता की लाईन (रेखा) का इन्द्राज मसाबी नक्शा के अनुसार करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2021 पारित किया है। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। हम अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर दिनांक 06.09.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/7/23

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner